सड़क का निर्माण किया जा रहा है। को हटाने की कार्रवाई की। रह तेज रफ्तार ट्रेलर के ड्राइवर

हाई कोर्ट की सख्ती आइएएस सौरभ को कोर्ट से मांगनी पड़ी माफी, कहा- सारी, उन्होंने गलत शब्दों का किया उपयोग

आइएएस के जवाब से कोर्ट भड़का, कहा- आपका क्वालिफिकेशन क्या है

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने न्यू रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के भूमि आवंटन से जुड़े मामले में गंभीर नाराजगी जाहिर की। मामला कोर्ट में लंबित रहने के बावजूद जमीन आवंटित किए जाने पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और अलाटमेंट कमेटी के सदस्यों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिसने भी जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

गुरुवार को हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में याचिका की सुनवाई के दौरान एनआरडीए के सीईओ और आइएएस अधिकारी सौरभ कुमार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ा। कोर्ट ने पूछा कि आदेश के बावजूद हलफनामा क्यों नहीं पेश किया गया। इस पर सौरभ कुमार ने जवाब दिया कि उन्हें कोर्ट का आदेश समझ नहीं आया। उनके इस बयान पर कोर्ट भड़क गया और पूछा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? जब उन्होंने बताया कि वे बीटेक हैं, तो कोर्ट ने टिप्पणी की, हम आदेश में लिख देते हैं कि आपको हाई कोर्ट का आदेश समझ नहीं आया। आइएएस अधिकारी ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, सारी सर, मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हाई कोर्ट भवन। ● फाइल फोटो

- सुनवाई में आइएएस सौरभ कुमार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ा
- भूमि आवंटन मामले में एनआरडीए के सीईओ और अलाटमेंट कमेटी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

गलत हलफनामा पेश करने पर असिस्टेंट मैनेजर तलब

कोर्ट ने हलफनामा प्रस्तुत करने वाली असिस्टेंट मैनेजर को तलब किया और उनके द्वारा दिए गए जवाब को पढ़ने को कहा। कोर्ट ने पूछा, आपने गलत हलफनामा क्यों पेश किया। क्या आपको यह भी नहीं पता कि हलफनामा कैसे फाइल करना है। महिला अधिकारी ने बताया कि वह एनआरडीए में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वे इस पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

अलाटमेंट कमेटी पर किए सवाल

कोर्ट ने पूछा कि मामला लंबित रहते हुए भी जमीन का आवंटन क्यों किया गया। सीईओ ने बताया कि कमेटी की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया था। कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा, याचिका का निर्णय आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया। चार दिन रुक जाते तो क्या होता।

कोर्ट ने एफआइआर के दिए निर्देश

कोर्ट ने अलाटमेंट कमेटी के सभी सदस्यों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए और कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे।

क्या है मामला

27 सितंबर 2021 को कमेटी की अनुशंसा पर न्यू टैक ग्रुप को भूखंड आवंटित किया गया था। यह आवंटन कोर्ट में विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय से पहले वर्ष 2023 में किया गया, जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन था। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में एनआरडीए के सीईओ, असिस्टेंट मैनेजर और अलाटमेंट कमेटी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं।